



दिनांक 16.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 528 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जलालपुर

• 25-25 हजार रुपये के 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.10.2026 को थाना जलालपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1-मो0 कौसर 2-मो0 सुहेल पुत्र दीन मोहम्मद 3-मो0 सुहेल पुत्र पीर मोहम्मद 4-मोहम्मद शकील उर्फ चिल्लाऊ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो थाना जलालपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जलालपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-मो0 कौसर निवासी साहबतारा, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।
- 2-मो0 सुहेल पुत्र दीन मोहम्मद निवासी साहबतारा, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।
- 3-मो0 सुहेल पुत्र पीर मोहम्मद, निवासी साहबतारा, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।
- 4-मोहम्मद शकील उर्फ चिल्लाऊ निवासी महमूदनगर, मित्तूपुर रोड, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

जनपद आजमगढ़/थाना तरवां, थाना निजामाबाद

- चोरी की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 20 लाख रुपये कीमत की चोरी के 9.3 किलोग्राम चाँदी
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 आर्टिगा कार, (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद

दिनांक 16.10.2026 को थाना तरवां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कम्हरिया- कुर्थियां के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम

पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—रामसागर घायल हो गया, जिसे अभियुक्त निन्ही सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया एवं सूचना के आधार पर थाना निजामाबाद पुलिस टीम द्वारा बड़ागांव नहर पुलिया के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 3—सुनील 4—रमाशंकर घायल सहित अभियुक्त 5—अनिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रुपये कीमत की चोरी के 9.3 किलोग्राम चाँदी, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 आर्टिगा कार, (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.10.2026 को थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तरवां पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चाँदी उक्त घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुनील के विरुद्ध जनपद मिर्जापुर, प्रयागराज के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग, अभियुक्त अनिल के विरुद्ध जनपद मिर्जापुर व कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 05 अभियोग, अभियुक्त रामसागर के विरुद्ध मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना तरवां व थाना निजामाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुनील निवासी जनपद मिर्जापुर।
- 2—रामसागर निवासी मध्य प्रदेश।
- 3—रमाशंकर निवासी जनपद सिंगरौली, मध्य प्रदेश।
- 4—अनिल निवासी तेंदुआ खुर्द, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर।
- 5—निन्ही निवासी डोड़ोपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- 1—लगभग 20 लाख रुपये कीमत की चोरी के 9.3 किलोग्राम चाँदी।
- 2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 3—घटना में प्रयुक्त 01 आर्टिगा कार, (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना टप्पल

- अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 03 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 6.528 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस
- 27 हजार 500 रुपये नगद
- घटना में प्रयुक्त 01 टाटा टियागो वाहन आदि बरामद

दिनांक 16.10.2026 को थाना टप्पल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1—लक्ष्मण 2—सुरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 6.528 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस, 27 हजार 500 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 टाटा टियागो वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना टप्पल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—लक्ष्मण निवासी ग्राम पारसौली थाना नौहझील जनपद मथुरा।
- 2—सुरेश निवासी ग्राम गिदोह थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।

बरामदगी

- 1—लगभग 03 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 6.528 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस।
- 2—27 हजार 500 रुपये नगद।
- 3—घटना में प्रयुक्त 01 टाटा टियागो वाहन आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना करमा

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 60 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्तल 18 किलो 670 ग्राम अवैध गांजा
- 08 हजार 280 रुपये नगद
- 05 मोबाइल फोन
- 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 15.10.2026 को थाना करमा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम करनवाह जाने वाले तिराहे के पास से 03 अभियुक्तों 1-विश्वजीत उर्फ कानू 2-रविन्द्र 3-मो०दानिश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 60 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्तल 18 किलो 670 ग्राम अवैध गांजा, 08 हजार 280 रुपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना करमा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-विश्वजीत उर्फ कानू निवासी ग्राम पुराना जोल्डा ए ब्लॉक थाना जोल्डा जनपद सुन्दरगढ़ ओडिशा।
- 2-रविन्द्र निवासी सेक्टर-01 गंजू बस्ती थाना सेक्टर-03 जनपद सुन्दरगढ़ ओडिशा।
- 3-मो०दानिश निवासी रेलवे कॉलोनी राउरकेला थाना प्लांट साइट जनपद सुन्दरगढ़ ओडिशा।

बरामदगी

- 1-लगभग 60 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्तल 18 किलो 670 ग्राम अवैध गांजा।
- 2-08 हजार 280 रुपये नगद।
- 3-05 मोबाइल फोन।
- 4-02 चार पहिया वाहन आदि।

➤ जनपद मऊ/थाना घोसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 40—40 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—पिंटू 2—गौरव 3—जिवेश 4—आदित्य को आजीवन कारावास व 40—40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद सिद्धार्थनगर/थाना गोल्हौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 65—65 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना गोल्हौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 व 376डी भादवि सपठित धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—मनोज 2—रिंकू को कठोर आजीवन कारावास व 65—65 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद फतेहपुर/थाना गाजीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25—25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना गाजीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—बलराम उर्फ चट्टू 2—मलखान को आजीवन कारावास व 25—25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 16.10.2026

प्रेस विज्ञापित 529 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत जनपद मेरठ पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा पति की हत्या कर घटना को सर्पदंश का रूप देने के अभियोग में मात्र 18 माह में 02 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड एवं प्रत्येक को 25,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

उ0प्र0 शासन के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित जघन्य अपराधों में मा० न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाए जाने हेतु निरंतर और उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है।

जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद मेरठ के निर्देशन में थाना बहसूमा पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में लगातार सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.10.2026 को माननीय न्यायालय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-12, जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्तगण अमरदीप एवं रविता को दोषसिद्ध पाते हुए मृत्युदण्ड तथा प्रत्येक अभियुक्त को 25,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.04.2025 को थाना बहसूमा क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर सादात में अमित पुत्र विजयपाल की हत्या के संबंध में थाना बहसूमा पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियोग में आरोप था कि मृतक की पत्नी रविता पत्नी अमित ने अपने प्रेमी अमरदीप पुत्र सुन्दर सिंह के साथ मिलकर अमित की गला घोटकर हत्या की तथा घटना के साक्ष्य छिपाने एवं हत्या को सर्पदंश से हुई मृत्यु का रूप देने के उद्देश्य से मृतक को जहरीले सर्प से कटवाया।

अभियोग की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्रीमती इन्दु वर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण अमरदीप एवं रविता को गिरफ्तार किया गया तथा साक्ष्य संकलन के उपरान्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में थाना बहसूमा पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट पैरोकार एवं अभियोजन द्वारा साक्षियों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराते हुए लगातार प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.10.2026 को माननीय न्यायालय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-12, जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्तगण अमरदीप एवं रविता को दोषसिद्ध पाते हुए मृत्युदण्ड तथा प्रत्येक अभियुक्त को 25,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अमरदीप पुत्र सुन्दर सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर सादात थाना बहसूमा, जनपद मेरठ।
2. श्रीमती रविता पत्नी अमित निवासी ग्राम अकबरपुर सादात थाना बहसूमा, जनपद मेरठ।

संबंधित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 67/2025 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस थाना बहसूमा, जनपद मेरठ।

सजा का विवरण-

1. अभियुक्त अमरदीप को मृत्युदण्ड एवं 25,000/- रुपये अर्थदण्ड।
2. अभियुक्ता रविता को मृत्युदण्ड एवं 25,000/- रुपये अर्थदण्ड।



दिनांक 16.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 530 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा 21 मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों एवं 02 दिव्यांग पुलिस कर्मियों, को 38 करोड़ 05 लाख रुपये के चेक प्रदान किये गये

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण द्वारा आज दिनांक 16.10.2026 को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ संपादित समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत संचालित पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) योजना के तहत आकस्मिक दुर्घटना में मृत एवं दिव्यांग पुलिस कर्मियों के आश्रितों/लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आकस्मिक दुर्घटना में मृत 21 पुलिस कर्मियों के परिजनों तथा 02 दिव्यांग पुलिस कर्मियों सहित कुल 23 लाभार्थियों को 38 करोड़ 05 लाख रुपये की धनराशि के चेक वितरित किए गए।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही दिव्यांग पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों से भी मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना तथा विभाग की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है तथा कठिन परिस्थितियों में विभाग उनके साथ पूरी संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ खड़ा रहेगा।

इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ श्री के0एस0 इमैन्नुअल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय (PHQ) मो0 इमरान सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं शाखा प्रबंधक श्री शशिकान्त सिंह उपस्थित रहे।



